

**कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी**


संख्या 559 /जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/2019-20/बलरामपुर दिनांक 17 जनवरी 2019

**शुद्धि पत्र**

जनपद बलरामपुर के आबकारी विभाग के देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों व मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 हेतु उक्त आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन का नवीनीकरण शासनादेश संख्या 114/2018/4030ई-2/तेरह-2018-02/2018 दिनांक 25.12.2018 व आबकारी आयुक्त उ0प्र0 प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्रांक 42900-42975/दस-लाइसेंस-421/आबकारी नीति क्रियान्वयन/2019-20 दिनांक/प्रयाराज, जनवरी 11, 2019 के अनुपालन में किया जाना प्रस्तावित है के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा विज्ञप्ति पत्र संख्या 555/जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/2019-20/बलरामपुर दिनांक 15, जनवरी 2019 द्वारा प्रकाशित करायी गयी थी। जिसमें बीयर दुकानों के विवरण में क्रमांक 19 पर अंकित दुकान कोहरगड्डी के स्थान पर सरायखास नवसृजित दुकान का विवरण त्रुटिवश विज्ञापित हो गया था जिसे सरायखास नवसृजित के स्थान पर कोहरगड्डी पढा जाय जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा।

**संशोधित बीयर दुकान का विवरण**

क्र0सं0	बीयर दुकान का नाम	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित अनन्तिम लाइसेंस फीस	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित अनन्तिम प्रतिमूति धनराशि
19	कोहरगड्डी	318500	31850

  
(राजेश त्रिपाठी)  
जिला आबकारी अधिकारी  
बलरामपुर

संख्या 559(1-2)तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.सम्पादक, दैनिक जागरण, अमरउजाला व हिन्दुस्तान जनपद बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति (शुद्धि पत्र) को दैनिक समाचार पत्रों में डी0ए0वीपी0 दर पर न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।

2.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

  
(राजेश त्रिपाठी)  
जिला आबकारी अधिकारी  
बलरामपुर